

कार्यालय

राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

संश्लिष्ट प्राथमिक उच्चमैत्री शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारमैत्री कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, जे.पी. लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संचाल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्देदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संस्थागत संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गद्दी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, जे.पी. लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें उचित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1255- J.P.COLLEGE OF PHARMACY,VILL-SINGHAWALI AHIR,POST-AMINAGAR SARAI,BAGHPAT-250606

अपेक्षा	पाठ्यक्रम का नाम	एडिआई/सीटीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडिआई/सीटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अर्दों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निश्चिन्त समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के इन्वीड पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के अर्देदित पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रत्येक किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सामान द्वारा निर्गत किये जाने वाले सूचनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विचारण किया जाता है, जो फीस की नवीनताम तरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (जे.पी. प्राथमिक शिक्षा समिति) तथा जय समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्देदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के हिसक रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आशादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- Some of the most famous of these are those of the great Greek and Roman authors, such as Homer, Virgil, and the Greek tragedians, and the Latin historians, and the great Latin poets, such as Virgil, Horace, and Ovid.
- Some of the most famous of these are those of the great Greek and Roman authors, such as Homer, Virgil, and the Greek tragedians, and the Latin historians, and the great Latin poets, such as Virgil, Horace, and Ovid.
- Some of the most famous of these are those of the great Greek and Roman authors, such as Homer, Virgil, and the Greek tragedians, and the Latin historians, and the great Latin poets, such as Virgil, Horace, and Ovid.
- Some of the most famous of these are those of the great Greek and Roman authors, such as Homer, Virgil, and the Greek tragedians, and the Latin historians, and the great Latin poets, such as Virgil, Horace, and Ovid.
- Some of the most famous of these are those of the great Greek and Roman authors, such as Homer, Virgil, and the Greek tragedians, and the Latin historians, and the great Latin poets, such as Virgil, Horace, and Ovid.

THE GREAT GREEK AND ROMAN AUTHORS

THE GREAT GREEK AND ROMAN AUTHORS

THE GREAT GREEK AND ROMAN AUTHORS

THE GREAT GREEK AND ROMAN AUTHORS

THE GREAT GREEK AND ROMAN AUTHORS

THE GREAT GREEK AND ROMAN AUTHORS

THE GREAT GREEK AND ROMAN AUTHORS

THE GREAT GREEK AND ROMAN AUTHORS